राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 228/2013

डॉ. मोहम्मद अकरम खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–2, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जनरल हॉस्पिटल, सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.04.2013
आदेश की दिनांक : 22.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.02.2013 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) के पद पर कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को सरकारी आवास स्वीकृत किया गया और तब से अपीलार्थी उक्त आवास का उपभोग कर रहा है। आदेश दिनांक 23.09.2010 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सवाई माधोपुर से रामसर बाडमेर कर दिया गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 14.12.2010 के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया। परंतु विभाग को स्वतत्रंता प्रदान की गई। विभाग द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी खंडार आदेश दिनांक 29.12.2010 के द्वारा स्थानान्तरित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा मकान भत्ता भी उसके वेतन से नियमित कटवाता रहा, परंतु फिर भी विभाग द्वारा अपीलार्थी से राशि रूपये 1,04,863 जमा करने के लिये आदेश दिनांक

02.02.2013 जारी किया गया। अपीलार्थी से बिना कोई कारण बताये उक्त वसूली विभाग द्वारा जारी कर दी गई। जबकि अपीलार्थी को जवाब देने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.02.2013 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 23.09.2010 के द्वारा सवाई माधोपुर से बाडमेर स्थानान्तरण किया गया, जिसे माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 14.12.2010 के द्वारा जिले में स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसके क्रम में विभाग द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी खंडार पदस्थापित किया गया। परंतु अपीलार्थी द्वारा राजकीय आवास खाली नहीं किया गया और राजस्थान असैनिक सेवायें किराया नियम, 1959 के नियम 4 के अनुसार निर्धारित अवधि में राजकीय आवास खाली नहीं करने पर किराया दरें दिनांक 10 मई, 2002 से प्रचलित दरों के अनुसार स्थानान्तरण होने की स्थिति में कार्यमुक्त की दिनांक से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधानानुसार वसूली निकाली गई, जो सही एवं उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को सरकारी आवास स्वीकृत किया गया और तब से अपीलार्थी उक्त आवास का उपभोग कर रहा है। आदेश दिनांक 23.09.2010 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सवाई माधोपुर से रामसर बाडमेर जिसे अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 14.12.2010 के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया। परंतु विभाग को स्वतत्रंता प्रदान की गई। विभाग द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी खंडार आदेश दिनांक 29.12.2010 के द्वारा स्थानान्तरित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। परंतु स्थानान्तरण पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त राजकीय आवास को खाली नहीं किया, जो नियम विरूद्ध है। परंतु विभाग द्वारा राजकीय आवास का किराया अपीलार्थी के वेतन से लिया जाता रहा। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि

अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)